ई0मेल / स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या–1025 / सी0ई0ओ0–1–73 / 1–2016टीसी–B लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2019

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019–भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की निर्वाचन ड्यूटी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न अर्द्ध शा0प0सं0–स–109 / 29–1–2019–40–सामा.0–03, दिनांक 08.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आर0ओ0 हैण्डबुक के प्रस्तर–3.3.2 में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
18.3.19
(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः–1025(1) / सी0ई0ओ0–1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि उक्त संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न अर्द्ध शा0प0सं0–स–109 / 29–1–2019–40–सामा.0–03, दिनांक 08.03.2019 क्रम में।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त उप / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को पी0डी0एफ0 हेतु।

18.3.19
(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
प्रमुख सचिव

अर्द्धशा0प0सं0–अ-109/29–1–2019–40खा0–03

उत्तर प्रदेश शासन,
खाद्य एवं रसद विभाग
लखनऊ: दिनांक: 08 मार्च, 2019

प्रिय वेंकट,

लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 के लिये अधिकारियों /कर्मचारियों की आनलाइन डेटाबेस फीडिंग कराने के संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या–04/ए0डी0एम0 (एफ0आर0)/प्र0अ0–कार्मिक/19, दिनांक 29.01.2019 की (छाया प्रति संलग्न)का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के कम में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर से निर्गत समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या–196 /सी0ई0ओ0 –1–145/1–2006, दिनांक 24.01.2019 एवं तत्कम में निर्गत पत्र संख्या–2013/सी0ई0ओ0–1– 145/1–2006, दिनांक 25.01.2019 के द्वारा आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के दृष्टिगत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन के अति प्राथमिकता सम्बन्धी गेहूँ खरीद एवं भण्डारण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य दिनांक 01 अप्रैल,2019 से 15 जून,2019 तक सम्पादित होना है। गेहूँ कय एवं भण्डारण से जुड़े खाद्य विभाग के मण्डल स्तर के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय एवं सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय तथा जनपद स्तर पर तैनात जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी एवं विपणन निरीक्षकों तथा अन्य कय एजेन्सी यथा कर्मचारी कल्याण निगम, एस0एफ0सी0, पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0, यू0पी0 एग्रो, नैफेड, एस0 डब्लू0सी0 वं एफ0सी0आई0 के द्वारा गेहूँ कय एवं भण्डारण का कार्य किया जाना है से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आगामी लोकसभा चुनाव–2019 की ड्यूटी से अवमुक्त किये जाने का कष्ट करें।

3– उपर्युक्त के अतिरिक्त खाद्यायुक्त कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके द्वारा वर्ष 2019–20 में गेहूँ कय एवं भण्डारण से सम्बन्धित कार्य किया जाना है (सूची संलग्न) को कृपया आगामी लोकसभा चुनाव–2019 की ड्यूटी से अवमुक्त किये जाने का कष्ट करें।

सादर,

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीया,

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)

श्री एल0 वेंकटेश्वरलू,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

essential service of Postal Department.

f) Employees of banks, LIC may be drafted on election duty to the minimum extent possible, only in a constituency where sufficient numbers of govt. employees are not available or in emergent circumstances such as strike etc by the Govt. employees. Care should be taken to ensure that minimum numbers of employees of such institutions are requisitioned so that the business of these institutions is not hampered.

g) In case employees of local bodies, namely, Municipalities, Panchayat samitis, Zila Parishads, etc., are engaged for polling duties at a polling station, it should be ensured that the Presiding Officer and the Sr. Polling Officer of a polling station (who in the event of absence of Presiding Officer is to function as Presiding Officer) should not both be the employees of local authorities. Further, except the first polling officer, who does the identification, the other Polling Officers could be employees of local authorities.

3.3 EXEMPTED CATEGORIES

3.3.1 The Commission has exempted certain officers from being drafted for election duty in view of essential nature of duties/service discharged by them.

3.3.2 The officers and staff of following departments will not be requisitioned for deployment of election duty:

- Such officers of the Indian Forest Service as notified by ECI;
- Doctors and Compounders working in veterinary hospitals;
- Officers working in Grade – B (Cattle Extension Officer) in veterinary hospitals;
- Medical staff including doctors, nurses, ANMs etc.;
- Territorial Staff of Forest Department;
- Staff of All India Radio;
- Staff of Doordarshan;
- Officers of Food Corporation of India;
- Ayurvedic, Unani & Homeopathic Medical Officer of Ayush Deptt.

3.3.3 The operational/technical staff of BSNL, MTNL, UPSC and educational institutions will be requisitioned for election duty only in unavoidable circumstances.

3.3.4 Officer/staff of Commercial Bank located in rural area and if happens to be a single officer branch, need not be deployed.

3.3.5 However, it is further to be noted that any official due to retire within 6 months' time or who has already retired but is on extension of service or re-employed should not be drafted for any election related duty. It is clarified that while drawing persons for election duties, Returning Officer should explore the possibility of asking for persons from all such

8.	श्री आशीष त्रिवेदी	विपणन निरीक्षक
9.	श्री देवेन्द्र वर्मा	विपणन निरीक्षक
10.	श्री कात्यानी शंकर द्विवेदी	विपणन निरीक्षक
11.	श्री शहाब अहमद	विपणन निरीक्षक
12.	श्री दिनेश सिंह	विपणन निरीक्षक
13.	श्री संतोष कुमार	विपणन निरीक्षक
14.	श्री हरिकेश बहादुर सिंह	प्रधान सहायक
15.	श्री जय कुमार शर्मा	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2

अतः शासन के पत्र संख्या– रा–79/29–1–2019, दिनाँक 12.02.2019 के द्वारा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ को चुनाव ड्यूटी से अवमुक्त किये जाने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध करने का कष्ट करें।

भवदीय,
07.03.19
(संतोष कुमार)
अपर आयुक्त।

पत्राँकः:– /आयुक्त–अधि0(मु0)–01/98, दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखत को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

01. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

02. श्री धनन्जय सिंह, जिला खाद्य विपणन अधिकारी (नोड अधिकारी) निर्वाचन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि गेहूँ खरीद वर्ष 2019–20 में खाद्यायुक्त (मु0) में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को ड्यूटी निर्वाचन कार्यालय से अवमुक्त कराने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(संतोष कुमार)
अपर आयुक्त।

6/19

रा-79/29-1-19

690/PSP/19
J.S (S)

पत्राँकः:– 815 /आयुक्त–अधि0(मु0)–01/98

तत्काल

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

तत्काल
(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
प्रमुख सचिव
खाद्य एवं रसद विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

SO-1
7/2/19

लखनऊ :: दिनाँक :: 06 फरवरी, 2019

विषय : **लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 के लिये कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की आनलाइन डेटाबेस फीडिंग कराने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या–04/ए0डी0एम0 (एफ0आर0)/प्र0आ0–कार्मिक/19, दिनाँक 29.01.2019 (छायाप्रति मय संलग्नक) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर से निर्गत समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या–196/सी0ई0ओ0–1–145/1–2006, दिनांक 24.01.2019 एवं तत्क्रम में निर्गत पत्र संख्या–2013/सी0ई0ओ0–1–145/1–2006, दिनांक 25.01.2019 के द्वारा आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के दृष्टिगत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के अति प्राथमिकता सम्बन्धी गेहूँ खरीद एवं भण्डारण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 15 जून, 2019 तक सम्पादित होना है। गेहूँ क्रय एवं भण्डारण से जुडे स्टाफ एवं खाद्य विभाग से सम्बन्धित समस्त क्रय एजेन्सियों जिनके द्वारा वर्ष 2019–2020 में गेहूँ खरीद एवं भण्डारण का महत्तपूर्ण कार्य किया जाना है, जिसके दृष्टिगत विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी निर्वाचन में लगाये जाने से गेहूँ क्रय एवं भण्डारण से सम्बन्धित कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित होना स्वभाविक है।

अतः उक्त वर्णित परिस्थितियों के आलोक में खाद्य विभाग के गेहूँ क्रय एवं भण्डारण से जुड़े कार्मिकों एवं समस्त क्रय एजेन्सियों के कार्मिकों को आगामी लोक सभा चुनाव–2019 से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध करने का कष्ट करें।

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
6/2
(आलोक कुमार)
आयुक्त।

पत्राँक :: /आयुक्त–अधि0(मु0)–01/98, तद्‌दिनाँक।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ को उनके कार्यालय पत्र दिनांक 29.01.2019 के क्रम में सूचनार्थ।

(आलोक कुमार)
आयुक्त।

7/19

Corporations/PSU only so that it is not too much of a strain on a particular organization.

3.4 WOMEN OFFICIALS

3.4.1 The availability of female polling personnel should be examined for appointing Presiding/ Polling Officers in polling stations set up exclusively for female voters or where the number of female voters, especially, pardanashin women is large, there must be at least one lady-polling officer who may identify the women electors.

3.4.2 All pregnant women and lactating mothers, whether on maternity leave or not, or who are otherwise on medical advice not to undertake any rigorous or hazardous work, may be exempted from election duty.

3.4.3 Every female official called for election duty should be informed of the arrangements made for her stay. Unless arrangement is made and information in this behalf is furnished to such female official, she shall not be called to perform any election duty at any such place.

3.4.4 The female polling personnel should not be put on duty on the basis of computer randomization process. They should be put on duty in the neighbouring polling stations through manual randomization by the Observers, so that they are able to go to the polling stations on the morning of the poll day. (ECI Instruction No. 464/INST/2009 dated 22.09.2009 & No. 464/INST/2014-EPS dated 10.03.2014).

3.5 JUDICIAL OFFICERS

3.5.1 The employment of Judicial Officers for election work will be subject to the following conditions:

a) The present practice of obtaining the prior approval of the High Court before engaging Judicial Officers for election work should continue;

b) Civil Judicial Officers of and above the rank of District Munsif or any rank corresponding thereto will not be engaged for election work in any capacity;

c) Judicial Magistrates may not be appointed as Sector Magistrates in charge of law and order duties or engaged as Presiding or Polling Officers of Polling Stations; and

d) In States where there is no separation of judiciary and executive, Executive Magistrates may be put in charge of law and order work in connection with election; provided a sufficient number of them are left out for dealing with criminal cases arising out of the law and order situation relating to elections. In these states also, no Civil Judicial Officer should be detailed in any capacity for election work.

3.6 PERSONS WITH DISABILITIES

3.6.1 Physically challenged persons with disabilities as defined under the "Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995

4/19

स-09/29-119

पत्रॉकः:– 1271 /आयुक्त–अधि0(मु0)–01/98

प्रेषक,

अपर आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
खाद्य एवं रसद अनुभाग–1,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

लखनऊ :: दिनॉंक ::01 मार्च, 2019

विषय : लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों की आनलाइन डेटाबेस फीडिंग कराने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–रा–79/29–1–2019, दिनॉंक 12.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के कार्मिकों के नाम/पदनाम की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2019–20 में गेहूँ क्रय में खाद्य विभाग एवं खाद्य विभाग से सम्बन्धित क्रय एंजेन्सियों द्वारा गेहूँ क्रय एवं भण्डारण का कार्य दिनांक 01.04.2019 से 15.06.2019 तक सम्पादित किया जायेगा।

खाद्य विभाग के मण्डल स्तर के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय एवं सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय तथा जनपद स्तर पर तैनात जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी एवं विपणन निरीक्षकों तथा अन्य क्रय एजेन्सी यथा कर्मचारी कल्याण निगम, एस0एफ0सी, पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0, यू0पी0 एग्रो, नैफेड, एस0डब्लू0सी0 एवं एफ0सी0आई0 के द्वारा गेहूँ क्रय एवं भण्डारण का कार्य किया जाना है से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ड्यूटी से अवमुक्त किये जाने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध करने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त खाद्यायुक्त कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके द्वारा वर्ष 2019–20 में गेहूँ क्रय एवं भण्डाराण से सम्बन्धित कार्य किया जाना का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री अशोक कुमार सिंह	अपर आयुक्त (विपणन)
2.	श्री कमलेश कुमार पाण्डेय	जिला खाद्य विपणन अधिकारी (मु0)
3.	श्री रूपेश कुमार सिंह	जिला खाद्य विपणन अधिकारी (मु0) ई–उपार्जन
4.	श्री विपुल कुमार सिन्हा	क्षेत्रीय विपणन अधिकारी
5.	श्री माठूलाल	क्षेत्रीय विपणन अधिकारी
6.	श्रीमती नमिता मिश्रा	क्षेत्रीय विपणन अधिकारी
7.	श्री अमित उपाध्याय	विपणन निरीक्षक

01-3-15

5/19

ई0मेल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट लखनऊ–226001

संख्या: 213 /सी0ई0ओ0–1–145/1–2006 लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2019

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:– आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु आनलाइन इलेक्शन पर्सनल डिप्लायमेंट सिस्टम (EPDS Application) साफ्टवेयर से संबंधित निर्देश में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–196/सी0ई0ओ0–1–145/1–2006 दिनांक 24 जनवरी, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त पत्र के साथ एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु आनलाइन इलेक्शन पर्सनल डिप्लायमेंट सिस्टम (EPDS) से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रारूप/दिशा–निर्देशों को संलग्न कर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है:–

(अ) मतदान कार्मिकों के डाटाबेस के लिए प्रोफार्मा से सम्बन्धित प्रपत्र–1
(ब) राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रपत्र–2
(स) बैंक/बीमा कम्पनी के कर्मचारियों के लिए प्रपत्र–3
(द) कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रारूप–1 भरने हेतु दिशा–निर्देश।
(य) कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रारूप–2 भरने हेतु दिशा–निर्देश।
(र) कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रारूप–3 भरने हेतु दिशा–निर्देश।
(ल) प्रभारी अधिकारी, कार्मिक एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा चरणवार किये जाने वाले कार्य (एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा)।
(व) ई0पी0डी0एस0 रोल्स एण्ड रेसपॉन्सिबिलिटीज।

3– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2019 के साथ प्रेषित किये गये कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रारूप–2 भरने हेतु दिशा–निर्देश एवं कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रारूप–3 भरने हेतु दिशा–निर्देश में टंकण त्रुटियों के कारण एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा कतिपय बिन्दुओं में निम्नवत संशोधन किया गया है:–

क्र0 सं0	प्रपत्र संख्या से संबंधित निर्देश	बिन्दु संख्या	पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2019 में उल्लिखित दिशा–निर्देश	संशोधनोपरान्त वर्तमान दिशा–निर्देश
1	2	3	4	5
1	कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रारूप–2 भरने हेतु दिशा–निर्देश।	10	वर्तमान पे बैण्ड PB1- ,PB2 ,PB3 , PB4 छठवें वेतन आयोग के अनुसार 01 अगस्त 2016 को क्या है भरा जायेगा।	वर्तमान पे बैण्ड PB1- ,PB2 ,PB3 , PB4 छठवें वेतन आयोग के अनुसार 01.01.2019 को क्या है भरा जायेगा।
		11	वर्तमान ग्रेड पे छठवें वेतन आयोग के अनुसार 01 अगस्त 2016 को क्या है भरी जायेगी।	वर्तमान ग्रेड पे छठवें वेतन आयोग के अनुसार 01.01.2019 को क्या है भरी जायेगी।
		13	कुल सेवा अवधि वर्ष में – अधिकारी/कर्मचारी को सेवा करते हुए 01 अगस्त 2016 को कितने वर्ष हो चुके है।	कुल सेवा अवधि वर्ष में – अधिकारी/कर्मचारी को सेवा करते हुए 01.01.2019 को कितने वर्ष हो चुके है।
		14	वर्तमान ग्रेड पे पर कितने समय से कार्यरत है 01 अगस्त 2016 तक वर्षों में भरें।	वर्तमान ग्रेड पे पर कितने समय से कार्यरत है 01.01.2019 तक वर्षों में भरें।
		15	01 अगस्त 2016 को छठवें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन कितना है	01.01.2019 को छठवें वेतन आयोग अनुसार मूल वेतन कितना है
		16, 17, 18	यदि सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है तो लेवल नम्बर क्या है। यदि सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है तो इन्डेक्स नम्बर क्या है। यदि सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है सातवे वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन कितना है	यदि सातवां वेतन आयोग लागू हो है तो 01.01.2019 को लेवल नम्बर है। यदि सातवां वेतन आयोग लागू गया है तो इन्डेक्स नम्बर क्या है। सातवां वेतन आयोग लागू हो गया सातवे वेतन आयोग के अनुसार 01.01.2019 को मूल वेतन कितना
2	कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रारूप–3 भरने हेतु दिशा–निर्देश	9, 10	Pay Scale, Basic Pay	Pay Scale, Basic Pay as 01.01.2019
		15	31 मई 2017 तक या उससे पूर्व सेवानिवृत्ति का विवरण भरें।	31 मई 2019 तक या उससे सेवानिवृत्ति का विवरण भरें।

अतः प्रपत्र–1 एवं 2, 3 (संशोधित) को संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

25.1.19

(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:– 213 (1)/सी0ई0ओ0–1–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त डी0आई0ओ0, उत्तर प्रदेश।
3– श्री शैलेश श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को उनसे हुए वार्ता के क्रम में।

25.1.19

(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

10/19

11/19

निर्वाचन / तुरन्त

R-969
04-02-19

निर्वाचन / तुरन्त

कार्यालय कोड सं0 183.....

प्रेषक,

जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

आयुक्त खाद्य एवं रसद
द्वितीय तल
जवाहर भवन

संख्याः 04 / ए0डी0एम0(एफ0आर0) / प्र0अ0–कार्मिक / 19 दिनांकःजनवरी 29, 2019

विषयः लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2.019 के लिये कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की आनलाइन डेटाबेस फीडिंग कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के कम में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश,लखनऊ के स्तर से निर्गत समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या–196 / सी0ई0ओ0–1–145 / 1–2006 दिनांक 24–1–2019 एवं तत्कम में निर्गत पत्र संख्या–213 / सी0ई0ओ0–1–145 / 1–2006 दिनांक 25–1–2019 के द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये हैं।

AC(A)(E) उपर्युक्त के कम में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आपको तीन प्रपत्र(प्रपत्र संख्या–1, 2 एवं 3 तथा इससे संबंधित निर्देश व मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से प्राप्त उक्त पत्र) इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। प्रपत्र सं0–1 मतदान कार्मिकों के डेटाबेस के लिये प्रोफार्मा है तथा प्रपत्र संख्या–2 राज्य / केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये है 04/2/19 प्रपत्र संख्या–3 बैंक / बीमा कम्पनियों / उपकमों से संबंधित है।

(आलोक कुमार)
आयुक्त
खाद्य तथा रसद विभाग
उ0प्र0, लखनऊ

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही सम्पादित करायी जानी है :–

(1) संलग्न प्रपत्र –1 में उल्लिखित समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण कराकर इस कार्यालय(कक्ष संख्या–24 कलेक्ट्रेट लखनऊ) में लौटती डाक से या विलम्बतम पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से भिजवाना है। AC(M) प्रपत्र–1 में भरे गये अधिकारियों का नाम प्रपत्र–2 / 3 में भी अवश्य भरा जाय। प्रपत्र–2 / 3

(2) प्रपत्र–1 में भरे गये अधिकारियों का नाम प्रपत्र–2 / 3 में भी अवश्य भरा जाय। प्रपत्र–2 / 3 से संबंधित सूचना आपको तत्काल कम्प्यूटर में एक्सल या वर्ड में तैयार कराकर रखनी है. जिससे आपको लागिन / पासवर्ड उपलब्ध कराने पर इसकी आनलाइन फीडिंग आपके द्वारा करायी जा सके। सूची में अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम पूरा अंकित किया जाय न कि शार्टफार्म में, जैसे कि जूनियर इन्जीनियर को जे0ई0 न लिखा जाय।

4/2/19
(राम यज्ञ मिश्र)
अपर आयुक्त
खाद्य तथा रसद विभाग
उ0प्र0, लखनऊ

8/19

-2-

(3) यदि किसी कार्यालय में एक से अधिक कोड नम्बर से प्रपत्र–1 भरने हेतु मिलता है त एक ही कोड संख्या की प्रपत्र–1 में सूचना देनी है तथा दूसरे कोड संख्या की Duplicate अंकित करते हुये इसका स्पष्ट उल्लेख प्रपत्र–1 में नीचे अंकित किया जाय।

(4) इससे संबंधित अन्य सूचना बेवसाईट **lucknow.nic.in** पर उपलब्ध लिंक ele **2019** पर दी जा रही है और भविष्य में भी दी जाती रहेगी, अतः आप अथवा आपके के इस हेतु नामित नोडल अधिकारी नियमित रूप से इसे देखते रहेंगे जिससे उन्हीं कि की कार्यवाही / मीटिंग आदि की जानकारी होती रहे।

(5) प्रपत्र–1 जमा करने के 03 दिन बाद प्रपत्र–2 / 3 की आनलाइन फीडिंग हेतु बेव लिंक एवं यूजरनेम / पासवर्ड का पत्र कलेक्ट्रेट–लखनऊ के कक्ष संख्या–26(एन0आई0 अवश्य प्राप्त कर लें।

(6) उक्त कार्य हेतु **दिनांक 08–2–2019 को 10.00 बजे से 12.00 बजे तक एम.यू. स्थित साइन्टिफिक कन्वेंशन सेन्टर के हाल–ए(1050 आडिटोरियम) में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।** अतः आपके कार्यालय के उक्त कार्य हेतु नामि अधिकारी को उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिये निर्देशित करने का कष्ट करें। ना अधिकारी अपनी आवश्यकतानुसार अपने साथ कम्प्यूटर आपरेटर को भी साथ में ला प्रशिक्षण में आने से पूर्व कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रपत्र **कार्यालय कोड सहित कक्ष संख्या–24 कलेक्ट्रेट लखनऊ में जमा करा दिया गया है।**

(7) प्रपत्र–1 एवं 2 / 3 में अपने कार्यालय का कोड अवश्य अंकित करायें।किसी जानकारी के लिये एन0आई0सी0कलेक्ट्रेट लखनऊ में सम्पर्क किया जा सकता है।

आप अवगत है कि निर्वाचन का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है एवं लोकसभ निर्वाचन–2019 की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी समय किया जान है। अतः अनुरोध है कि कृपया व्यक्तिगत ध्यान देते हुये संलग्न प्रारूप–1 पर सूच भिजवाने तथा प्रपत्र–2 / 3 पर सूचना तैयार कराकर सुरक्षित रखवाने का कष्ट करें जि भी समय इसको आनलाइन आपके द्वारा फीडिंग करायी जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी
लखनऊ।

9/15

BLO की संख्या ______

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

***

Central Government	State Govt.
Central Government PSU	State Govt. PSUs
Central Government Educational Institutes	State Govt. Educational Institutes
Central Govt. Banks	State Govt. Banks
Insurance	

महत्वपूर्ण निर्देश

उपरोक्त्त सूचनाये ध्यान पूर्वक भरे क्योंकि फॉर्म -2/3 की सूचना ऑनलाइन भरने के पश्चात् कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा बिंदु-13 व बिंदु 14 का मिलान फॉर्म -2/3 में भरी गयी सूचना से किया जायेगा | यदि फॉर्म -1 में भरी गयी सूचना फॉर्म -2/3 में भरी गयी सूचना से भिन्न हुई तो फॉर्म -2/3 का डाटा फ्रीज नहीं हो पायेगा |

14/19

प्रपत्र - II

(केंद्र/ राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु)

लोक सभा सामान्य निर्वाचन - 2019

विभाग का नाम :______

कार्यालय का कोड :______

कार्यालय का नाम:______

कार्यालय का पता:______

क्र० स०	नाम	पदनाम	कार्यरत स्थल का नाम	मोबाइल न० (मोबाइल न० न होने की दशा में निवास फ़ोन या अन्य संपर्क)	लिंग पुरुष/ महिला	कर्मचारी का प्रकार (स्थाई / अस्थाई / संविदा) P/T/C	राजपत्रित (हां / नहीं)	श्रेणी (I, II, III या IV)	वर्तमान पे बैंड वेतन आयोग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

वर्तमान ग्रेड पे (छठा वेतन आयोग)	पद की ग्रेड पे (छठा वेतन आयोग)	कुल सेवा अवधि (वर्ष में)	वर्तमान ग्रेड पे में कितने समय से कार्यरत (वर्ष में)	मूल वेतन (छठा वेतन आयोग)	लेवल नंबर (सातवाँ वेतन आयोग)	इंडेक्स नंबर. (सातवाँ वेतन आयोग)
11	12	13	14	15	16	17

मूल वेतन (सातवाँ वेतन आयोग)	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा वह वर्तमान में कार्यरत है	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा वह वर्तमान में निवास करता है	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा का मूल निवासी है	गृह जनपद का नाम	सेवानिवृत्ति का दिनांक (31.5.2019 तक और पूर्व)	अध्यापक किस श्रेणी मे आता है। T1 -प्राथमिक शिक्षक T2 -जूनियर हाई स्कूल शिक्षक T3 - हाई स्कूल शिक्षक T4 इंटरमीडिएट शिक्षक T5 डिग्री कॉलेज

15/19

ई0मेल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट लखनऊ–226001

संख्याः 196 /सी0ई0ओ0–1–145/1–2006 लखनऊः दिनांकः 24 जनवरी, 2019

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु आनलाइन इलेक्शन पर्सनल डिप्लायमेंट सिस्टम (EPDS Application) साफ्टवेयर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 हेतु आनलाइन इलेक्शन पर्सनल डिप्लायमेंट सिस्टम (EPDS) से सम्बन्धित इलेक्शन ऐप्लीकेशन साफ्टवेयर, जो एन0आई0सी0 डोमेन में उपलब्ध है, को राज्य स्तर पर एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किया गया है।

2– एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा तैयार किये गये साफ्टवेयर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदन भी प्रदान किया जा चुका है। एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा उक्त साफ्टवेयर से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रारूप/दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं:–

(अ) मतदान कार्मिकों के डाटाबेस के लिए प्रोफार्मा से सम्बन्धित प्रपत्र–1
(ब) राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रपत्र–2
(स) बैंक/बीमा कम्पनी के कर्मचारियों के लिए प्रपत्र–3
(द) कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रारूप–1 भरने हेतु दिशा–निर्देश।
(य) कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रारूप–2 भरने हेतु दिशा–निर्देश।
(र) कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रारूप–3 भरने हेतु दिशा–निर्देश।
(ल) प्रभारी अधिकारी, कार्मिक एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा चरणवार किये जाने वाले कार्य (एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा)।
(व) ई0पी0डी0एस0 रोल्स एण्ड रेसपॉन्सिबिलिटीज।

अतः एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रारूप/दिशा–निर्देशों को संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद के प्रभारी कार्मिक तथा डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को उक्त साफ्टवेयर के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए डाटाबेस तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के लिए तैयार किये जाने वाले उक्त डाटाबेस के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर श्री शैलेश श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 23.1.19
(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः– 196 (1)/सी0ई0ओ0–1–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (डी0आई0ओ0) उत्तर प्रदेश।
3– श्री शैलेश श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक,एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

(हस्ताक्षर) 23.1.19
(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

12/19

प्रपत्र –1

(मतदान कार्मिकों के डेटाबेस के लिए प्रोफार्मा)

जनपद का नामः ____________

1. विभाग का नामः ____________

2. विभाग की परिस्थितिः ____________

3. कार्यालय का कोड एवं नामः ____________

4. लागू वेतन आयोगः ____________

5. कार्यालय का पूरा पताः ____________

6. कार्यालयाध्यक्ष का नामः ____________

7. कार्यालयाध्यक्ष का पदनामः ____________

8. टेलीफ़ोन न० कार्यालयः ______ आवास ______ मोबाइल न० ______

9. ईमेल आईडी ____________

कार्यालय अध्यक्ष से सम्पर्क न हो पाने की स्थिति में वैकल्पिक अधिकारी का विवरणः–

10. वैकल्पिक अधिकारी का नामः ____________

11. वैकल्पिक अधिकारी का पदनामः ____________

12. वैकल्पिक अधिकारी के कार्यालय का टेलीफ़ोन न० ___ आवास ___ मोबाइल न० ___

13. कार्यालय में कार्यरत कुल अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या .

कुल संख्या ______ अधिकारियों की संख्या ______ अन्य कर्मचारी की संख्या

उपरोक्त क्रम संख्या 13 में,

14. महिलाओं की संख्या ______ पुरुषों की संख्या ______ दिव्यांग की संख्या ______

स्वीपर की संख्या ______ चौकीदार की संख्या ______ ड्राइवर की संख्या ______

13/19

51/81

अधिकारी / कर्मचारी के निर्वाचन नामावली (EPIC) पंजीकरण से सम्बन्धित विवरण						अधिकारी / कर्मचारी के बैंक अकाउंट का विवरण			
EPIC (वोटर कार्ड) नंबर	EPIC विधान सभा क्षेत्र संख्या	EPIC विधान सभा क्षेत्र का नाम	बूथ संख्या	मतदाता क्रमांक	यदि EPIC वर्तमान तैनाती जनपद से भिन्न (नहीं / हाँ)	बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	IFSC
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

EPDS साफ्टवेयर को दो भागों में विभक्त किया गया है:–

1. EPDS –आन–लाइन
2. EPDS –आफ–लाइन

EPDS - आन–लाइन साफ्टवेयर

इस साफ्टवेयर के माध्यम से कार्मिकों का डेटाबेस तैयार किया जायेगा। आनलाइन डेटाबेस तैयार करने के लिए निम्न प्रकिया अपनाई जानी है:–

1– समस्त जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) के सहयोग से राज्य स्तर पर एन0आई0सी0 द्वारा सरकारी (राज्य तथा केन्द्र) विभागों, सरकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी उपकमों की सूची तैयार की जायेगी। यह सूची जिले के प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) को EPDS –आन–लाइन साफ्वेयर के माध्यम से उपलब्ध रहेगी जिससे कि वह इस सूची से अपने जिले में स्थापित उन कार्यालयों / बैंकों की शाखाओं / सरकारी उपकमों आदि के विभागों / बैंकों / उपकमों का चयन कर सकें जिनके अधिकारियों / कर्मचारियों को उन्हे चुनाव सम्बन्धी कार्य में लगाना है। विभागों के आनलाइन चयन में जिला निर्वाचन कार्यालय / एन0आई0सी0 में पहले से ही उपलब्ध विभागों की सूची को प्रयोग में लाया जा सकता है। समस्त जनपदों के प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई विभाग मास्टर डाटा में सम्मिलित होने से नहीं छूटा है। यदि छूटा है तो उसे एन0आई0सी0 लखनऊ की निर्वाचन टीम से सम्पर्क कर जुड़वाना सुनिश्चित करेंगे। जनपद स्तर पर यह सूची जनपद की वेबसाइट के लिंक "लोक सभा सामान्य निर्वाचन डाउनलोड" पर तथा प्रदेश स्तर पर यह सम्पूर्ण सूची CEO के डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

2– जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) के दिशा निर्देशन और डी0आई0ओ0 के तकनीकी सहयोग से आनलाइन data entry का सम्पूर्ण कार्य सम्पादित किया जायेगा। समस्त जनपद के प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों की आनलाइन प्रविष्टि शत प्रतिशत हो गयी है। कोई विभाग / कार्यालय प्रविष्टि से शेष नहीं है।

3– प्रत्येक जिले के प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) को एडमिन यूजर बनाया गया है जो अपने दिशा निर्देशन में निम्न कार्य करवायेंगे:–

(a) अपने जिले के सभी कार्यालयों को पत्र प्रेषित करना कि वह प्रारूप–1 व प्रारूप–2 एवं प्रारूप–3 (केवल बैंक एवं बीमा कम्पनियों के लिए) में सूचना एकत्र करें तथा प्रारूप–1 पर एकत्र की गई सूचना तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराएं। प्रारूप–2 / 3 की सूचना को ऑनलाइन data entry हेतु तैयार रखें।

(b) कार्यालयों से प्राप्त प्रारूप–1 की सूचना की ऑनलाइन data entry कराना। data entry हेतु ई–डिस्ट्रिक्ट केंद्र में उपलब्ध कंप्यूटर तथा उसमें तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर को उपयोग में लाया जा सकता है।

(c) डाटा एंट्री के पश्चात विभाग–वार कार्यालयों की सूची प्रिंट करना।

(d) प्रिंट सूची से प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारी का चिन्हांकन करना।

(e) डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 के तकनीकी सहयोग से विभागों के नोडल अधिकारियों का एडमिन लॉग–इन तथा ऑपरेटर लॉग इन बनाना।

(f) विभागों के नोडल अधिकारियों व कार्यालयाध्यक्षों को EPDS-Online s/w से प्रिंट किये गए पत्र प्रेषित करना।

<u>विभाग के नोडल अधिकारी के पत्र में निम्नलिखित सूचनायें होंगी–</u>

i. नोडल अधिकारी का एडमिन लॉग–इन तथा पासवर्ड जिससे वह अपने विभाग के कार्यालयों की डाटा एन्ट्री प्रगति की समीक्षा कर सकें।

ii. ऑपरेटर लॉग–इन व पासवर्ड – ... विभाग के सभी कार्यालयों ... प्रारूप–2 / 3 को आनलाइन भरने में प्रयोग होगा।

19/19

कम्प्यूटर प्रभारी

						T6 अन्य शिक्षक
18	19	20	21	22	23	24

क्या सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी पिछले 04 वर्षो में 03 वर्ष या उससे अधिक समय से इस जनपद में कार्यरत है ? (हां / नहीं)	अभियुक्ति (गर्भवती महिला ,दिव्यांग ,डी॰ एल॰ ओ॰ ,गम्भीर रूप से बीमार ,आवश्यक सेवा ,ड्राइवर , स्वीपर,बैंक गार्ड आदि)	अधिकारी / कर्मचारी के निर्वाचन नामावली (EPIC) पंजीकरण से सम्बंधित विवरण					
		EPIC (वोटर कार्ड) नंबर	EPIC विधान सभा क्षेत्र संख्या	EPIC विधान सभा क्षेत्र का नाम	बूथ संख्या	मतदाता क्रमांक	यदि EPIC वर्तमान तैनाती जनपद से निर्गत (हां / नहीं)
25	26	27	28	29	30	31	32

अधिकारी / कर्मचारी के बैंक अकाउंट का विवरण			
बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	IFSC
33	34	35	36

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

16/19

प्रपत्र 3

(बैंक/बीमा कंपनी के कर्मचारियों के लिये)

लोक सभा सामान्य निर्वाचन - 2019

विभाग का नाम :____________________

कार्यालय कोड :____________________

कार्यालय का नाम:____________________

कार्यालय का पता:____________________

17/19

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	कार्यस्थल का नाम	मोबाइल नंबर	लिंग (पुरुष/ महिला)	कर्मचारी का प्रकार (P – स्थाई, T – अस्थाई, C - संविदा)	स्केल (I, II, III, IV,V,VI,VII, CS, SS) *CS-Clerical Staff *Subordinate Services (Peon Etc.)	पे स्केल	मूल वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा वह वर्तमान में कार्यरत है	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा वह वर्तमान में निवास करता है	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा का मूल निवासी हैं	गृह जनपद का नाम	सेवानिवृत्ति का दिनांक (31.5.2019 तक और पूर्व)	क्या सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी पिछले 04 वर्षो में 03 वर्ष या उससे अधिक समय से इस जनपद में कार्यरत है ? (हां / नहीं)	अभियुक्ति (गर्भवती महिला ,दिव्यांग ,डी॰ एल॰ ओ॰ ,गम्भीर रूप से बीमार ,आवश्यक सेवा ,ड्राइवर , बैंक गार्ड आदि)
11	12	13	14	15	16	17